

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार स्नातक अपरेंटिस प्रशिक्षुओं (इंजीनियरिंग) की नियुक्ति

एचपीसीएल भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) के नियंत्रणाधीन एक भारत सरकार का उद्यम है। यह रिफाइनिंग, भंडारण, वितरण और विशाल विपणन नेटवर्क में कार्यरत है जिसमें रिफाइनरियां, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, टर्मिनल, पाइपलाइन नेटवर्क, विमानन सेवा स्टेशन, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और अंतर्देशीय रिले डिपो आदि शामिल हैं जो पूरे भारत में व्याप्त हैं।

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार एचपीसीएल, विपणन प्रभाग पूरे भारत में विभिन्न कार्यस्थलों पर इंजीनियरिंग क्षेत्रों [सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार / इंस्ट्रुमेंटेशन/ कंप्यूटर विज्ञान / आईटी] में स्नातक अपरेंटिस प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है।

वर्ष 2025-26 के लिए स्नातक प्रशिक्षुओं (इंजीनियरिंग) की नियुक्ति

1. महत्वपूर्ण तिथियां

एचपीसीएल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 16-05-2025	एचपीसीएल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 30-05-2025
--	---

2. प्रशिक्षण पद विवरण और पात्रता मानदंड

विवरण	आयु सीमा	योग्यता मानदंड	मासिक वजीफा
स्नातक प्रशिक्षु (इंजीनियरिंग) - सिविल - मैकेनिकल - इलेक्ट्रिकल - इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार - इंस्ट्रुमेंटेशन - कंप्यूटर विज्ञान/आईटी)	न्यूनतम आयु -18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष 30-05-2025 तक आयु में छूट अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए 5 वर्ष, ओबीसी-एनसी के लिए 3 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्ष	इंजीनियरिंग स्नातक [केवल सिविल/ मैकेनिकल/ केमिकल/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ कंप्यूटर विज्ञान/ आईटी] सामान्य/ ओबीसी-एनसी/ ईडब्ल्यूएस के लिए सभी सेमेस्टर/ वर्षों के कुल 60% अंकों के साथ और अ.जा./ अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी/ (वीएच/ एचएच/ ओएच*) उम्मीदवारों के लिए 50%	इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए रु. 25000/- (एचपीसीएल द्वारा रु. 20,500 का भुगतान किया जाएगा और डीबीटी योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को रु. 4500 का सीधे भुगतान किया जाएगा)

*वीएच- दृष्टि दिव्यांग, एचएच- श्रवण दिव्यांग, ओएच- अस्थि दिव्यांग

अपेक्षित पात्रता:

- केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- केवल वे अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस 2.0) वेब पोर्टल पर पंजीकृत और अनुमोदित हैं तथा शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी) द्वारा अनुमोदित हैं, उन्हें ही शिक्षता प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु विचार किया जाएगा।
- सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार / इंस्ट्रुमेंटेशन / कंप्यूटर विज्ञान / आईटी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग स्नातक, जिन्होंने 01.04.2022 के बाद इंजीनियरिंग स्नातक पूरा किया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों ने 01.04.2022 से पहले इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, वे प्रशिक्षता प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं हैं।
- सामान्य / ओबीसी-एनसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए कुल 60% अंक होना आवश्यक है, जबकि अ.जा. / अ.ज.जा. / पीडब्ल्यूबीडी (वीएच/एचएच/ओएच) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अर्हता परीक्षा में सभी वर्षों/ सेमेस्टर्स में कुल 50% अंक होना आवश्यक है।
- **प्रतिशत की गणना:** विश्वविद्यालय/ कॉलेज द्वारा प्रदान की गई डिग्री प्रतिशतता पर विचार किया जाएगा या जहां योग्यता डिग्री में सीजीपीए/ जीपीए या लेटर ग्रेड प्रदान किया जाता है, वहां विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार आवेदन-पत्र में अंकों का समतुल्य प्रतिशत दर्शाया जाना चाहिए। कृपया विश्वविद्यालय / संस्थान से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करें, जो साक्षात्कार के समय आवश्यक होगा। यदि उपर्युक्त प्रतिशत / रूपांतरण उपलब्ध नहीं है, तो अधिकतम अंकों को जोड़कर सभी सेमेस्टर/ वर्षों में सभी योग्यता विषयों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों को विभाजित करके प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत का दशमलव भाग अनदेखा कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, 49.99% को 50% से कम माना जाएगा।
- उपर्युक्त सभी योग्यताएं तकनीकी शिक्षा बोर्ड / यूजीसी / एआईसीटीई या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रचलित कानूनों के अनुसार मान्यता-प्राप्त होनी चाहिए।
- आयु सीमा: 30-05-2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। अधिकतम आयु में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी (वीएच/एचएच/ओएच) उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट।
- अ.जा., अ.ज.जा., ओबीसी-एनसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांगजन की दिव्यांगता की डिग्री 40% या उससे अधिक) के लिए पात्रता मानदंड, आयु और आरक्षण में छूट सरकारी दिशानिर्देशों/ प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार होगी।
- जो अभ्यर्थी पहले भी प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत रहे हैं या कहीं और प्रशिक्षता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जिनका एनएटीएस पोर्टल पर प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत किसी अन्य संगठन के साथ प्रशिक्षता अनुबंध है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। किसी भी संगठन के साथ मौजूदा प्रशिक्षता अनुबंध के मामले में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- जिन अभ्यर्थियों को एक वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

- 30-05-2025 के बाद एचपीसीएल पोर्टल पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन पद्धति

- सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को एचपीसीएल द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंकों के अनुसार, उनकी श्रेणी और मेरिट सूची में स्थान के आधार पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रबंधन को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है, जिसके जून 2025 में आयोजित होने की संभावना है।
- अखिल भारतीय मेरिट सूची इंजीनियरिंग डिग्री के शैक्षणिक परिणाम और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अंतिम प्रस्ताव एचपीसीएल के मानकों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करने और सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे आयु, योग्यता, जाति, पीडब्ल्यूबीडी के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र, और चिकित्सा फिटनेस, यदि लागू हो, प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

एचपीसीएल में प्रशिक्षुता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

- सबसे पहले प्रशिक्षु आवेदन लिंक पर पंजीकरण करें--
http://jobs.hpcl.co.in/Recruit_New/recruitlogin.jsp विकल्प का उपयोग करके - **नए पंजीकरण के लिए साइन-अप करें**
- एक बार अभ्यर्थी पंजीकृत हो जाने के बाद, उन्हें एचपीसीएल अपरेंटिस टीम से पंजीकरण के लिए प्रदान की गई ईमेल आईडी पर उनके लॉगिन और पासवर्ड का विवरण प्राप्त होगा।
- अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त लॉगिन क्रेडेंशियल (ई-मेल आईडी और पासवर्ड) के माध्यम से एचपीसीएल प्रशिक्षु आवेदन लिंक http://jobs.hpcl.co.in/Recruit_New/recruitlogin.jsp पर साइन-इन करें।
- कृपया नोट करें कि अभ्यर्थियों को केवल एक ही आवेदन भरने की अनुमति है।
- अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन-पत्र के प्रत्येक भाग में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- विज्ञापन में उल्लिखित इंजीनियरिंग शाखाओं के अनुसार ड्रॉपडाउन से **इंजीनियरिंग ब्रांच** का चयन करें।
- अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र में दिए गए अनुसार अपना **व्यक्तिगत विवरण** भरना आवश्यक है। जो फ़ील्ड * से चिह्नित हैं, उन्हें भरना अनिवार्य है।
- एक बार अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत विवरण भर लें, तो वह **अपना विवरण सत्यापित करें** पर क्लिक करें। यदि कोई त्रुटि है, तो कृपया त्रुटि संदेश के अनुसार डेटा को सही ढंग से भरें।
- आवेदन-पत्र के अगले भाग पर जाने के लिए **सेव करें और आगे जाएं** पर क्लिक करें।

- इसके बाद उम्मीदवारों को अपना **संपर्क विवरण** भरना होगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे पत्राचार के लिए अपना पता और संपर्क नंबर के साथ स्थायी पता सही-सही उल्लेख करें।
- अभ्यर्थियों को ड्रॉपडाउन मेनू से अपना **पसंदीदा साक्षात्कार शहर** चुनना होगा।
- "अपना विवरण सत्यापित करें" पर क्लिक करें, फिर आवेदन-पत्र के अगले भाग **योग्यता विवरण** पर जाने के लिए "सेव करें और आगे जाएं" पर क्लिक करें।
- आवेदन-पत्र के अंतिम भाग में, अभ्यर्थियों को हाल ही में खींची गई **पासपोर्ट आकार की तस्वीर** और अपने **हस्ताक्षर** अपलोड करने होंगे।
- उम्मीदवारों को **पूर्वावलोकन** के अंतर्गत आवेदन-पत्र में विवरण की पुनः जांच करनी चाहिए। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है, तो विवरण संपादित करने के लिए सेक्शन/ वापस जाएं पर क्लिक करें।
- अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के लिए, घोषणा के बॉक्स की जांच करें और **अंतिम सबमिट** पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर **एचपीसीएल आवेदन संख्या** के साथ पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा।

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

- एचपीसीएल प्रशिक्षुता अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर प्रशिक्षुओं को स्थायी/ अस्थायी रोजगार प्रदान करने के संबंध में कोई प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं देता है।
- **कॉर्पोरेशन में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने वाले प्रशिक्षुओं को भर्ती मानदंडों में छूट/ वरीयता दी जाएगी। ऐसी छूट दो चरणों में दी जाएगी अर्थात् (i) किसी अभ्यर्थी (स्नातक प्रशिक्षु प्रशिक्षुओं) की पात्रता की गणना करते समय आयु में छूट के संबंध में, उस अवधि की सीमा तक जिसके लिए संबंधित आवेदक स्नातक प्रशिक्षु प्रशिक्षुओं ने कॉर्पोरेशन की किसी भी स्थापना में स्नातक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण लिया था, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, और (ii) प्रशिक्षु को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में अतिरिक्त 5% अंक मिलेंगे। ये अतिरिक्त अंक सीबीटी परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे, और इससे चयन के अगले चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में मदद मिलेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित छूट को छोड़कर कॉर्पोरेशन में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने मात्र से भर्ती/ चयन का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।**
- गलत / झूठी जानकारी देने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और एचपीसीएल ऐसी गलत / झूठी जानकारी देने के किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि पात्रता मापदंडों के संबंध में उपर्युक्त विसंगतियों में से कोई भी, गलत सूचना देना और नियुक्ति के बाद भी किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना पाया जाता है, तो उसका प्रशिक्षण बिना किसी सूचना के समाप्त

कर दिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान किसी भी रूप में प्रचार करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- प्रशिक्षुओं को पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए रखा जाएगा। इसलिए, केवल वे अभ्यर्थी ही आवेदन करें जो भारत में कहीं भी नियुक्त होने के इच्छुक हों।

सामान्य शर्तें

- प्रशिक्षुओं की नियुक्ति प्रशिक्षु अधिनियम 1961 / प्रशिक्षु संशोधन अधिनियम, 1973 और उसके नियमों द्वारा अधिशासित होगी।
- इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति केवल एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।
- स्नातक अपरेंटिस प्रशिक्षुओं (इंजीनियरिंग) के रूप में चुने गए उम्मीदवारों को रु. 25000/- का मासिक वजीफा दिया जाएगा (एचपीसीएल द्वारा रु. 20,500 का भुगतान किया जाएगा और डीबीटी योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को रु. 4500 का सीधे भुगतान किया जाएगा) ।
- एचपीसीएल की ओर से किसी भी चयनित अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित निश्चित वजीफा राशि के अलावा आवास सहायता/कोई अन्य भत्ता प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है।
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में अ.ज.जा./ओबीसी-एनसी/ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी (वीएच/एचएच/ओएच) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है (प्रारूप हमारी साइट www.hpclcareers.com>Downloads>Downloads for Apprentices) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके जाति / समुदाय प्रमाण-पत्र में उनकी जाति / समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है (ओबीसीएनसी श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूची में ओबीसी जातियों के रूप में मान्यता-प्राप्त जातियों की सूची <http://www.ncbc.nic.in> साइट पर उपलब्ध है, अ.ज.जा. श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची www.ncst.nic.in साइट पर उपलब्ध है और अ.ज.जा. श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची <http://www.socialjustice.nic.in> साइट पर उपलब्ध है)। जाति के नाम में किसी भी तरह का बदलाव वाला प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ओबीसी प्रमाण-पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।
- किसी उम्मीदवार का ओबीसी दावा उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में निर्धारित किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। इसलिए, एक उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में चला गया है, उसे एक ओबीसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता के ओबीसी प्रमाण-पत्र के आधार पर उस राज्य से जारी किया जाना चाहिए, जिससे वह (पिता) मूल रूप से संबंधित है।

- ओबीसी उम्मीदवार जो “क्रीमी लेयर” से संबंधित हैं, वे ओबीसी-एनसी उम्मीदवारों को स्वीकार्य रियायत के लिए पात्र नहीं हैं और ऐसे उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी अनारक्षित (यूआर) के रूप में दर्शानी होगी।
- यदि अ.जा. / अ.ज.जा. / ओबीसी-एनसी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र अंग्रेजी / हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है, तो उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी में इसकी स्व-प्रमाणित अनुवादित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी: उम्मीदवारों को एचपीसीएल को आवेदन-पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन-पत्र में भरे गए विवरण को अंतिम माना जाएगा और बाद में व्यक्तिगत या किसी अन्य विवरण के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

- साक्षात्कार के लिए आमंत्रण-पत्र अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा और उम्मीदवारों को कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। सभी संचार उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए ई-मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर किए जाएंगे।
- अधूरे / गलत विवरण वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण/ आवेदन में प्रदान की गई ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर कम से कम एक वर्ष के लिए वैध रहना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने नाम से बनाई गई उचित ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। **छद्म/ नकली ई-मेल आईडी वाले आवेदनों पर कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।**
- **ऑनलाइन आवेदन में अंकों के प्रतिशत और किसी अन्य विवरण सहित उम्मीदवारी का विवरण प्रस्तुत करते समय, इसे भौतिक दस्तावेजों और शैक्षिक प्रमाण-पत्रों से मेल खाना चाहिए। हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी प्रशिक्षु नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी चरण में और नियुक्ति के बाद भी भौतिक दस्तावेजों से मेल नहीं खाती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई संचार नहीं किया जाएगा।**
- एचपीसीएल अमान्य/ गलत ई-मेल आईडी या संपर्क नंबर के कारण भेजे गए ई-मेल/ प्रवेश पत्र/ भेजे गए किसी भी अन्य संचार के किसी भी नुकसान / डिलीवरी न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में दिए गए सभी विवरण अंतिम माने जाएंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म में भरी गई श्रेणी (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी-एनसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी-[वीएच/एचएच/ओएच]) में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और तदनुसार लागू रियायतें / छूट नहीं दी जाएंगी।
- आवेदनों की संख्या के आधार पर, एचपीसीएल को न्यूनतम पात्रता मानकों/ मापदंडों को बढ़ाने और चयन प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार है।
- एचपीसीएल को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में नियोजित किए जाने वाले प्रशिक्षुओं/ चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निर्धारित करने का अधिकार है।
- साक्षात्कार के लिए शहर से बाहर से यात्रा करने वाले अ.जा., अ.ज.जा. और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी के रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते

यात्रा की गई दूरी कम से कम 30 कि.मी. हो (डाक पते से निकटतम स्थान के अलावा साक्षात्कार के लिए केंद्र/ स्थल चुनने वाले उम्मीदवारों को यात्रा किराया प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी)। उम्मीदवारों को एचपीसीएल वेबसाइट (www.hpclcareers.com>Downloads>Downloads for Apprentices) पर विस्तृत रूप से यात्रा भत्ता (टीए) फॉर्म भरना होगा और यात्रा के लिए मूल टिकट/ यात्रा प्रमाण के साथ इसे जमा करना होगा। यात्रा भत्ता ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा।

- प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए साक्षात्कार/ चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है।
- प्रबंधन को न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने और रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/ घटाने का अधिकार है। प्रबंधन को प्रशिक्षु नियुक्ति प्रक्रिया और/या उसके अंतर्गत चयन प्रक्रिया को बिना कोई अतिरिक्त सूचना दिए और बिना कोई कारण बताए रद्द/ प्रतिबंधित/ कम/ बढ़ाने का अधिकार भी है।
- सभी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर नियमित रूप से एनएटीएस/ एचपीसीएल पोर्टल की जांच करते हुए अपडेट रहना चाहिए।

सम्पर्क करने का विवरण

- कृपया सभी प्रश्न apprentices@hpcl.in पर भेजें और विषय पंक्ति में "जीएटी नियुक्ति (2025-26) - आवेदन संख्या" अवश्य लिखें।